SA I

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या–42XXVII(9)/2014/स्टाम्प–03/2014

देहरादून :: दिनांक: 26 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपठित (समय–समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से राज्य के सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों को पच्चीस लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु, यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी सेवारत/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में संयुक्त रूप में निष्पादित अन्तरण विलेख की दशा में यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक स्टाम्प शुल्क में उक्तानुसार कमी कर दी जाएगी, किन्तु यदि ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हो।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–42 (1)/XXVII(9)/2014/ स्टाम्प–03/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।